17/7/25

पत्रा० पेश हुई। कोई भी उप० नहीं इसा
दावा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज
किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 का चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र
212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रा० फैसला शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner